# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

## पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

**पत्रावली संख्या : 261/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002**

**मै. मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्रा. लि.** 10, ट्रोपिकल ड्राईव, एम जी. रोड़, गिलोरनी, न्यू दिल्ली, 110030 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राजेश शर्मा

**–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)**

**बनाम**

1. **मैना देवी पत्नी मुकेश कुमार जांगिड़** नांगल गोविन्द, जिला जयपुर राज. 303602
2. **मुकेश कुमार जांगिड़ पुत्र बोदूराम जांगिड** नियर परदे क्लासेज, लांडे ले आउट, तिरूपति नगर, बुलदाना, महाराष्ट्र, 443001
3. **अजय मुकेश कुमार जांगिड़ पुत्र मुकेश जांगिड़** नियर परदे क्लासेज, लांडे ले आउट, तिरूपति नगर, बुलदाना, महाराष्ट्र, 443001
4. **संजय जांगिड़ पुत्र मुकेश कुमार जांगिड़** नांगल गोविन्द, जिला जयपुर राज. 303602
5. **शंकरलाल जांगिड़ पुत्र बोदूराम** नांगल गोविन्द तहसील चौमू भादल, नागल जिला जयपुर राज. 303602

**–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)**

**The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.**

## स्वीकृति आदेश

**दिनांकः 11 मई, 2026**

**1.** प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री सारांश सक्सेना द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **मैना देवी पत्नी मुकेश कुमार जांगिड़ पता, मुकेश कुमार जांगिड़ पुत्र बोदूराम जांगिड़, अजय मुकेश कुमार जांगिड़ पुत्र मुकेश जांगिड़, संजय जांगिड़ पुत्र मुकेश कुमार जांगिड़ व शंकरलाल जांगिड़** पुत्र **बोदूराम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल **सम्पत्ति खसरा न. 1636 रकबा 1.57 है. में से अप्रार्थी के 217/3925 हिस्से की भूमि में से एक आवासीय भूखण्ड ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रास्ता 20 फीट का, पश्चिम दिशा में अल्का देवी का प्लॉट, उत्तर दिशा में 33 फीट का रास्ता एवं दक्षिण दिशा में सुखवीर सिंह का प्लॉट है। उक्त सम्पतियों को बंधक रखकर **कुल ₹5,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पांच लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **28.04.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

**2.** पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

**3.** पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

**4.** प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **28.04.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

**5.** अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **मैनी देवी पत्नी मुकेश कुमार जांगिड़ पता, मुकेश कुमार जांगिड़ पुत्र बोदूराम जांगिड़, अजय मुकेश कुमार जांगिड़ पुत्र मुकेश जांगिड़, संजय जांगिड़ पुत्र मुकेश कुमार जांगिड़ व शंकरलाल जांगिड़ पुत्र बोदूराम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक अचल **सम्पत्ति खसरा न. 1636 रकबा 1.57 है. में से अप्रार्थी के 217/3925 हिस्से की भूमि में से एक आवासीय भूखण्ड ग्राम पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 222.22 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं–पूरब दिशा में रास्ता 20 फीट का, पश्चिम दिशा में अल्का देवी का प्लॉट, उत्तर दिशा में 33 फीट का रास्ता एवं दक्षिण दिशा में सुखवीर सिंह का प्लॉट है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

**6.** आदेश आज दिनांक 11 **मई, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट,सीकर